



ज्योडीय एवं अनुसंधान का शाखा नेमी आदेश संख्या प्रशा0-01/37-जी-9
दिनांक 16/01/2024

1-**स्थापना एवं लेखा अधिकारी के पद पर नियमति आधार पर पदोन्नति**- निम्नलिखित कार्यालय अधीक्षक (ग्रुप 'बी' राजपत्रित) को उनके नाम के समक्ष दर्शायी गई तिथि से स्थापना एवं लेखा अधिकारी (ग्रुप 'बी' राजपत्रित) के पद पर **वेतन मैट्रिक्स लेवल-7** में नियमति आधार पर पदोन्नत किया जाता है:-

| क्रमांक | नाम व वर्तमान पदनाम | पद जिस पर पदोन्नति दी गई | पदोन्नति की तिथि |
|---------|--|--------------------------|---------------------|
| 1- | श्री संजीव कुमार शर्मा कार्यालय अधीक्षक | स्थापना एवं लेखा अधिकारी | 09-01-2024 (अपराहन) |

(I) पदोन्नति पर उक्त अधिकारी द्वारा नये वेतनमान में वेतन निर्धारित करने के लिए एफ0 आर0-22 (1) (क) (1) के तहत विकल्प देना होगा।

(II) सन्निहित अतिरिक्त व्यय ज्योडीय एवं अनुसंधान शाखा के लिए वर्ष 2023-24 हेतु स्वीकृत बजट अनुदान से पूरा कर उचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जायेगा।

(प्राधिकार:- भारत के महासर्वेक्षक का पत्र संख्या सी-142/718-ए दिनांक 09-01-2024)

2- **मुख्य मानचित्रकार के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति के सम्बन्ध में** :- निम्नलिखित मानचित्रकार डिविजन-1 को मुख्य मानचित्रकार (ग्रुप 'बी') के पद पर **वेतन मैट्रिक्स लेवल-7** में नियमति आधार पर पदोन्नत किया जाता है:-

| क्रमांक | नाम व वर्तमान पदनाम | पद जिस पर पदोन्नति दी गई | पदोन्नति की तिथि |
|---------|--|--------------------------------|---------------------|
| 1- | श्री सोमनाथ (SC) मानचित्रकार डिविजन-1 | मुख्य मानचित्रकार (ग्रुप 'बी') | 09-01-2024 (अपराहन) |

(I) पदोन्नति पर उक्त अधिकारी को नये वेतनमान में वेतन निर्धारित करने के लिए एफ0 आर0-22 (1) (क) (1) के तहत विकल्प देना होगा तथा यदि उक्त अधिकारी को एम0ए0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत एफ0 आर0-22 (1) (क) (1) का लाभ मिल चुका हो तो उनका वेतन नियतन निर्धारित नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(II) उपरोक्त अधिकारी मुख्य मानचित्रकार के पद पर नियमित पदोन्नति की तिथि से दो वर्ष तक परिवेक्षक रहेंगे। इनके विषय में इस अवधि के कार्य तथा कार्य निष्पादन की मुल्यांकन रिपोर्ट भारत के महासर्वेक्षक के कार्यालय को भेजी जायेगी।

(III) सन्निहित अतिरिक्त व्यय ज्योडीय एवं अनुसंधान शाखा के लिए वर्ष 2023-24 हेतु स्वीकृत बजट अनुदान से पूरा कर उचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जायेगा।

(IV) सम्बन्धित अधिकारी से विषयक मामले में वचन पत्र (Undertaking) प्राप्त कर इनकी सेवा पंजिका में रख लिया गया है।

(प्राधिकार:- भारत के महासर्वेक्षक का पत्र संख्या सी-208/1800-(1) दिनांक 09-01-2024)

कमश:.....2/-

3- भारतीय सर्वेक्षण विभाग में कार्यरत एम0टी0एस0 (पूर्व ग्रुप 'डी') कर्मचारी को प्रथम एम0ए0सी0पी0 का लाभ प्रदान करने के सम्बन्ध में :-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं0 ए-11019/1/2008 सी0डी0एन0, दिनांक 08.06.2009 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं0 35034/3/2008-स्था0, (डी) दिनांक 19-05-2009 तथा कार्यालय ज्ञापन सं0 35034/3/2015-स्था0, (डी) दिनांक 22-10-2019 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में ज्योडीय एवं अनुसंधान शाखा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के ग्रुप 'सी' स्थापना में निम्नलिखित एम0टी0एस0 (पूर्व ग्रुप 'डी') कर्मचारी को उनके नाम के सामने दर्शाई गयी तिथि से केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए एम0 ए0 सी0 पी0 योजना के तहत 'प्रथम' वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है:-

| क्रमांक | नाम व पदनाम | एम0ए0सी0पी0 | एम0ए0सी0पी0 के लाभ की देय तिथि |
|---------|----------------------------------|-------------|--------------------------------|
| 1- | श्रीमती कविता असवाल एम0टी0एस0 | प्रथम | 01-04-2023 |

- (1) एम0 ए0 सी0 पी0 योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति पर उक्त कर्मचारी को नये वेतनमान में वेतन निर्धारित करने के लिए एफ0 आर0-22 (1) (क) (1) के तहत विकल्प देना होगा।
- (11) सन्निहित अतिरिक्त व्यय ज्योडीय एवं अनुसंधान शाखा के लिए वर्ष 2023-24 हेतु स्वीकृत बजट अनुदान से पूरा कर उचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जायेगा।

(प्राधिकार:- भारत के महासर्वेक्षक का पत्र संख्या सी-4020/1902-एम0ए0सी0पी0(ग्रुप'डी') दि. 14-11-2023 एवं अपर महासर्वेक्षक, विशिष्ट क्षेत्र, देहरादून का पत्र संख्या सी-202/18-ए-12/MACP दिनांक 21-11-2023)

4-स्टाफ कार ड्राइवर (मोटर ड्राइवर कम-मैकेनिक) के पद पर नियुक्ति - श्री वैभव कुमार, पुत्र श्री किशन लाल को सीधी भर्ती द्वारा स्टाफ कार ड्राइवर (मोटर ड्राइवर कम-मैकेनिक) के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-2 (19,900-63200) एवं अन्य देय भत्तों पर उनके नाम के समक्ष दर्शायी गयी तिथि से 29-02-2024 या इससे कम समय के लिए जब की उनकी सेवाओं की आवश्यकता हो, अस्थायी रूप में नियुक्त किया जाता है:-

| क्र0सं0 | नाम | नियुक्ति की तिथि |
|---------|--|------------------|
| 1. | श्री वैभव कुमार पुत्र श्री किशन लाल | 15-12-2023 |

- (1) श्री वैभव कुमार की चिकित्सा जांच सक्षम प्राधिकारी द्वारा करा ली गयी है तथा इन्हें नियुक्ति हेतु योग्य घोषित किया गया। श्री वैभव कुमार के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन हेतु आवश्यक दस्तावेज सम्बन्धित सक्षम जिला अधिकारी को भेजे गये हैं, यदि सत्यापन में श्री वैभव कुमार के विरुद्ध कुछ भी प्रतिकूल पाया जाता है, तो इन्हें सरकारी सेवा हेतु अयोग्य मानते हुए तत्काल सेवा से हटा दिया जायेगा। इस कार्यालय द्वारा श्री वैभव कुमार इस सम्बन्ध में लिखित रूप में वचन पत्र भी प्राप्त कर लिया गया है।

- (11) सन्निहित अतिरिक्त व्यय ज्योडीय एवं अनुसंधान शाखा के लिए वर्ष 2023-24 हेतु स्वीकृत बजट अनुदान से पूरा कर उचित लेखाशीर्ष के नामे डाला जायेगा।

(प्राधिकार:-भारत के महासर्वेक्षक के कार्यालय का पत्र संख्या आर-2040/961-Tender/18617 दिनांक 21-04-2023) एवं आर-2229/961-Tender/18617 दिनांक 03-05-2023)

5-अवर श्रेणी लिपिक के पद पर पुष्टिकरण (Confirmation):- ज्योडीय एवं अनुसंधान शाखा के निम्नलिखित अवर श्रेणी लिपिक द्वारा परीक्षा-काल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर, उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से उनका सरकारी सेवा में पुष्टिकरण (Confirmation) किया जाता है :-

| क्र० सं० | नाम व पदनाम | नियुक्ति की तिथि | पुष्टिकरण की तिथि |
|----------|--------------------------------|------------------|-------------------|
| 1- | श्रीमती सोनी, अवर श्रेणी लिपिक | 15-07-2020 | 15-07-2022 |

(प्राधिकार:-भारत के महासर्वेक्षक के कार्यालय का विभागीय आदेश संख्या सी-4320/1902-Confirmation (LDC/UDC) दिनांक 15-12-2023)

6-प्रशासन को मजबूत बनाना - 50/55 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले अथवा 30 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने वाले सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवा का पुनरीक्षण :- ज्योडीय एवं अनुसंधान शाखा में गठित विशेष पुनरीक्षण समिति ने निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके द्वारा 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अथवा 30 वर्ष की अर्हक सेवा पूर्ण करने पर, जैसा कि उनके नाम के सामने दर्शाया गया है, सरकारी सेवा में बने रहना स्वीकार कर लिया है:-

| क्र०सं० | नाम व पदनाम सर्व श्री/श्रीमती | 50/55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अथवा 30 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने पर |
|---------|--|---|
| 1. | श्री सचिदा नन्द पाठक, आर्टिफिशर | 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर |
| 2. | श्री वासुदेव, एम० टी० एम० | 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर |
| 3. | श्री राकेश कुमार, सहायक प्रबन्धक (कैन्टीन) | 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर |
| 4. | श्री अवतार सिंह मठारू, यन्त्र यांत्रिक | 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर |

(प्राधिकार-ज्योडीय एवं अनुसंधान शाखा का कार्यालय आदेश संख्या सी-102/18-ए-8/3 दिनांक 20-11-2023)

7-चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन :-निम्नलिखित कर्मचारी जिनके चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन सम्बन्धी दस्तावेज सम्बन्धित जिला अधिकारी को भेजे गये थे तथा चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन हुये बिना नियुक्ति का नेमी आदेश जारी किया गया था, के चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन की रिपोर्ट सम्बन्धित जिला अधिकारी से प्राप्त हो गई है। जांच रिपोर्ट के अनुसार इनके विरुद्ध अभिलेखों में कुछ भी प्रतिकूल नहीं पाया गया :-

| क्रमांक | नाम व पिता का नाम | पदनाम | सम्बन्धित जिला अधिकारी का पत्र |
|---------|---|-------------|--|
| 1- | श्री राजन कुमार पुत्र श्री बिरेन्द्र प्रसाद | एम० टी० एस० | जिला अधिकारी, सारण, छपरा का पत्र संख्या 847/VR दिनांक 02-09-2023 |

8-जाति का सत्यापन-निम्नलिखित कर्मचारी की नियुक्ति का नेमी आदेश पूर्व में जारी किया जा चुका है तथा इनकी जाति सम्बन्धी प्रमाण पत्र सम्बन्धित जिला अधिकारी को सत्यापन हेतु भेजा गया था। जांच रिपोर्ट इस कार्यालय को प्राप्त हो गई है। सत्यापन में इनका जाति सम्बन्धी प्रमाण पत्र सही पाया गया है।

| क्रमांक | नाम व पदनाम | जाति जिसका सत्यापन करवाया गया | सम्बन्धित जिला अधिकारी का पत्र |
|---------|--|-------------------------------|--|
| 1- | मोहम्मद इमरान पुत्र मोहम्मद अलीजान एम०टी०एस० | अन्य पिछड़ी जाति | अपर जिला अधिकारी प्रशासन मुजफ्फरनगर का पत्रांक -743/RA जो इस कार्यालय में दिनांक 07-12-2023 को प्राप्त हुआ था। |

कमश:....4/-


9-स्थानान्तरण :-निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी उनके नाम के सामने दर्शाये गये कार्यालय से/को स्थानान्तरित हुए हैं :-

| क्र० सं० | अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पदनाम | कार्यालय | | स्थानान्तरण की तिथि |
|----------|------------------------------------|---------------------------|---|---------------------|
| | | से | को | |
| 1- | श्री बिहारी लाल, अधिकारी सर्वेक्षक | ज्योडीय एवं अनुसंधान शाखा | भारत के महासर्वेक्षक कार्यालय, देहरादून | 29-12-2023 |

10-सरकारी सेवा से तकनीकी त्यागपत्र :-ज्योडीय एवं अनुसंधान शाखा के निम्नलिखित कर्मचारी का उनके नाम के समक्ष दर्शायी गई तिथि से सरकारी सेवा से तकनीकी त्याग पत्र स्वीकार किया गया है :-

| क्र० सं० | नाम व पदनाम | तकनीकी त्याग पत्र की तिथि | प्राधिकार |
|----------|-------------------------------|---------------------------|---|
| 1- | श्री अभिषेक कुमार एम० टी० एस० | 08-01-2024 (पूर्वाहन) | निदेशक, ज्योडीय एवं अनुसंधान शाखा का पत्र संख्या प्रशा० - 298/17-ए-2 (VR/Resignation) दिनांक 08-01-2024 |

11-सेवा निवृत्ति:- ज्योडीय एवं अनुसंधान शाखा के श्री मनबर सिंह, अधीक्षण सर्वेक्षक दिनांक 31-12-2023 को सेवा-निवृत्त हो गये हैं।


16.01.2024

(नीरज गुर्जर)
निदेशक

ज्योडीय एवं अनुसंधान शाखा
(नियुक्ति प्राधिकारी)

वितरण :-

- 1-भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2-अपर महासर्वेक्षक, विशिष्ट क्षेत्र, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
- 3-वरिष्ठ लेखा अधिकारी, केन्द्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
- 4-प्रभारी, वेबसाईट मैनेजमेन्ट सिस्टम (आई.टी.सैल) महासर्वेक्षक का कार्यालय, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 5-स्थापना एवं लेखा अधिकारी, ज्योडीय एवं अनुसंधान शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 6- गार्ड फाईल